

बिड दस्तावेज़ / Bid Document

बिड विवरण/Bid Details	
बिड बंद होने की तारीख/समय /Bid End Date/Time	05-01-2026 18:00:00
बिड खुलने की तारीख/समय /Bid Opening Date/Time	05-01-2026 18:30:00
बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से)/Bid Offer Validity (From End Date)	30 (Days)
मंत्रालय/राज्य का नाम/Ministry/State Name	Uttar Pradesh
विभाग का नाम/Department Name	Cane Development (ganna Vikas Vibhag) Department Uttar Pradesh
संगठन का नाम/Organisation Name	N/a
कार्यालय का नाम/Office Name	Deputy Cane Commissioner Deoria
वस्तु श्रेणी /Item Category	Financial Audit Services - Review of Financial Statements, Financial Reporting Framework, Audit report; CA Firm
अनुबंध अवधि /Contract Period	6 Month(s)
एमएसएमई के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है/MSE Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
स्टार्टअप के लिए अनुभव के वर्षों और टर्नओवर से छूट प्रदान की गई है /Startup Relaxation for Years of Experience and Turnover	No
विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़/Document required from seller	Experience Criteria,Bidder Turnover,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
क्या आप निविदाकारों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ों को निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकारों को दिखाना चाहते हैं? संदर्भ मेन्ू है/Do you want to show documents uploaded by bidders to all bidders participated in bid?	No
बिड लगाने की समय सीमा स्वतः नहीं बढ़ाने के लिए आवश्यक बिड की संख्या। / Minimum number of bids required to disable automatic bid extension	1

बिड विवरण/Bid Details

दिनों की संख्या, जिनके लिए बिड लगाने की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी। / Number of days for which Bid would be auto-extended	3
ऑटो एक्सटेंशन अधिकतम कितनी बार किया जाना है। / Number of Auto Extension count	1
बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया/Bid to RA enabled	No
बिड का प्रकार/Type of Bid	Two Packet Bid
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय /Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
अनुमानित बिड मूल्य /Estimated Bid Value	400000
मूल्यांकन पद्धति/Evaluation Method	Total value wise evaluation
मध्यस्थता खंड/Arbitration Clause	No
सुलह खंड/Mediation Clause	No

ईएमडी विवरण/EMD Detail

आवश्यकता/Required	No
-------------------	----

ईपीबीजी विवरण /ePBG Detail

एडवाइजरी बैंक/Advisory Bank	State Bank of India
ईपीबीजी प्रतिशत (%) /ePBG Percentage(%)	5.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (माह) /Duration of ePBG required (Months).	6

(a). ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए। / EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

लाभार्थी /Beneficiary :

DY CC DEORIA
DEPUTY CANE COMMISSIONER DEORIA, Cane Development (Ganna Vikas Vibhag) Department Uttar Pradesh,
N/A,
(Akhilesh Pratap Singh)

बोली विभाजन लागू नहीं किया गया/ Bid splitting not applied.

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance

एमआईआई अनुपालन/MII Compliance	Yes
-------------------------------	-----

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference

एमएसई खरीद वरीयता/MSE Purchase Preference	No
---	----

1. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

अतिरिक्त योग्यता /आवश्यक डेटा/Additional Qualification/Data Required**Financial Audit Services - Review Of Financial Statements, Financial Reporting Framework, Audit Report; CA Firm (1)****तकनीकी विशिष्टियाँ /Technical Specifications**

विवरण/ Specification	मूल्य/ Values
कोर / Core	
Scope of Work	Review of Financial Statements , Financial Reporting Framework , Audit report
Type of Financial Audit Partner	CA Firm
Type of Financial Audit	Internal Audit
Category of Work under Financial Audit	Audit of financial statements , Reliability of financial reporting , Internal control of financial , Deterring , Investigating fraud , Bank Transactions
Type of Industries/Functions	Sales, Services and Revenue , Purchase & Procurement , Operational & Administrative
Frequency of Progress Report	Monthly
MIS Reporting for Financial Audit support	Yes
Frequency of MIS reporting	Monthly
State	NA
District	NA
एडऑन /Addon(s)	
Post Financial Audit Support	NA

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

क्रेता द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य/Minimum Floor Price defined by Buyer

No

अतिरिक्त विशिष्ट दस्तावेज़ /Additional Specification Documents

प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignees/Reporting Officer and Quantity

क्र.सं./S.N o.	प्रेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी /Consignee Reporting/Officer	पता/Address	संसाधनों की मात्रा / To be set as 1	अतिरिक्त आवश्यकता /Additional Requirement
1	Amar Nath Singh	274001,BHUJAULI COLONY DEORIA	1	N/A

क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें/Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. Generic

OPTION CLAUSE: The buyer can increase or decrease the contract quantity or contract duration up to 25 percent at the time of issue of the contract. However, once the contract is issued, contract quantity or contract duration can only be increased up to 25 percent. Bidders are bound to accept the revised quantity or duration

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

अस्वीकरण/Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. If any clause(s) is / are incorporated by the Buyer regarding following, the bid and resultant contracts shall be treated as null and void and such bids may be cancelled by GeM at any stage of bidding process without any notice:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process. (However, in bids for [attached categories](#), trials are allowed as per approved procurement policy of the buyer nodal Ministries)
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without

specifying equivalent Indian Certification / standards.

10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.
15. Any ATC clause in contravention with GeM GTC Clause 4 (xiii)(h) will be invalid. In case of multiple L1 bidders against a service bid, the buyer shall place the Contract by selection of a bidder amongst the L-1 bidders through a Random Algorithm executed by GeM system.
16. Buyer added ATC Clauses which are in contravention of clauses defined by buyer in system generated bid template as indicated above in the Bid Details section, EMD Detail, ePBG Detail and MII and MSE Purchase Preference sections of the bid, unless otherwise allowed by GeM GTC.
17. In a category based bid, adding additional items, through buyer added additional scope of work/ additional terms and conditions/or any other document. If buyer needs more items along with the main item, the same must be added through bunching category based items or by bunching custom catalogs or bunching a BoQ with the main category based item, the same must not be done through ATC or Scope of Work.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

All GeM Sellers/Service Providers shall ensure full compliance with all applicable labour laws, including the provisions, rules, schemes and guidelines under the four Labour Codes i.e. the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; and the Code on Social Security, 2020 as and when notified and brought into force by the Government of India.

For all provisions of the Labour Codes that are pending operationalisation through rules, schemes or notifications, the corresponding provisions of the pre-existing labour enactments (such as The Minimum Wages Act, 1948, The Payment of Wages Act, 1936, The Payment of Bonus Act, 1965, The Equal Remuneration Act, 1976, The Payment of Gratuity Act, 1972, etc. and relevant State Rules) shall continue to remain applicable.

The Seller/ Service Providers shall, therefore, be responsible for ensuring compliance under:

- **All notified and enforceable provisions of the new Labour Codes as mentioned hereinabove; and**
- **All operative provisions of the erstwhile Labour Laws until their complete substitution.**

All obligations relating to wages, social security, safety, working conditions, industrial relations etc. and any other statutory requirements shall be strictly met by the Seller/ Service Provider. Any non-compliance shall constitute a breach of the contract and shall entitle the Buyer to take appropriate action in accordance with the contract and applicable law.

This Bid is governed by the [सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions](#), conditions stipulated in Bid and [Service Level Agreement](#) specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in सामान्य नियम और शर्तें/General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।/In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake

compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---धन्यवाद/Thank You---

परिक्षेत्र देवरिया के सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं संतुलन पत्रों के टैक्स ऑडिट कार्य हेतु जेम पोर्टल से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चयनित करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश।

Selection criteria for engaging Internal Auditors for Cane Societies and Council.

SL No.	CRITERIA	BASIS OF MARKS	MAXIMUM MARKS
1	Experience of the Firm: Firm should be empaneled with CAG and the minimum experience is 7 years as on 01.04.2025	1 mark per year above 7 years of experience (fraction of the year to be ignored)	10
2	Peer Review: Peer Review Certificate of the firm given by the Institute of Chartered Accountants of India	5 marks	5
3	Similar work Experience: The firm must have carried out and completed similar assignments in last 3 Financial Years in internal audit of PSU/Society/Trust or any Autonomous Body.	5 marks per year of audit above 3 Years having similar nature work Experience	15
4	Number of Partners: The firm should have at least three FCA Parterres having experience of minimum 10 years as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	Above 3 FCA Partners 3 marks for each partner who is ACA (Associate Chartered Accountant) 5 marks for each partner who is FCA (Fellow Chartered Accountant)	10
5	(a) DISA/CISA Qualification: The firm should have at least One full-time partners having DISA/CISA Qualified who is in the firm as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	2 marks for each partner having DISA/CISA	5
6	Turnover of Firm: Average Turnover of Firm for last 3 financial years: (2022-23, 2023-24 and 2024-25)	Up to 30 lakh-4 Marks 30 Lakh to 60 lakh-8 Marks 60 Lakh to 80 lakh-12 Marks 80 Lakh te 100 lakh-16 Marks More than 100 lakh-20 Marks	20
7	Location: Audit firms having Registered Office/Branch Office as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	Registered Office/Branch Office located within division: 5-Marks Registered Office/Branch Office located outside the division: 2-Marks	5
8	Audit Methodology What Audit Methodology Firm will adopt specifically for conducting the Internal Audit of the UP-Cane Development Society and the UP-Cane Development Council.	Understanding of Scope of Work-5 Marks Approach & Methodology-10 Marks Presentation & Clarity-5 Marks Past Experience Reference -10 Marks	30
	Total		100
	1. To Qualify for Assignment: A CA firm must score at least Minimum Marks 2. Qualifying firm should not score ZERO in any criteria.	Minimum Marks - 60 Marks	

परिक्षेत्र देवरिया के सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों का विवरण

क्र. सं.	नाम जनपद	गन्ना समिति					गन्ना परिषद				
		श्रेणी (A)	श्रेणी (B)	श्रेणी (C)	श्रेणी (D)	योग	श्रेणी (A)	श्रेणी (B)	श्रेणी (C)	श्रेणी (D)	योग
1	कुशीनगर	-	-	5	9	14	-	-	6	4	10
2	देवरिया	-	-	-	8	8	-	-	-	5	5
3	आजमगढ़	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
4	मऊ	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
5	बलिया	-	-	-	0	0	-	-	-	1	1
	योग :-	-	-	5	19	22	-	-	6	12	18

1. गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद स्तर पर :-

प्रत्येक गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, समिति/परिषद आउटसोर्स लेखाकार एवं समिति / परिषद के लेखाकार / प्रभारी लेखाकार को मिलाकर एक समिति/परिषद स्तरीय आडिट पैनल गठित किया जायेगा। सामान्यतः चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की 01 फर्म को यथासम्भत / यथायोग्य 01 जिले की 03 गन्ना समितियां एवं 03 गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु नामित किया जायेगा। यदि जिले में सभित्तियों / परिषदों की संख्या 03/03 से कम है, तो निकटवर्ती जिले की समिति/परिषद को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तथा यदि उस जिले में गन्ना समितियों/परिषदों की संख्या 03/03 से अधिक है तो उनके लिये पृथक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म योजित की जायेगी। सी.ए. फर्म को आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु समितियां / परिषदें आवंटित किये जाने से पूर्व उनकी श्रेणियां अवश्य ध्यान में रखनी हैं अर्थात् किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को केवल ए ग्रेड की अथवा किसी को केवल डी ग्रेड की समस्त गन्ना समितियां / परिषदें आवंटित न कर मिली-जुली ग्रेड की गन्ना समितियां / परिषदें आवंटित की जायेंगी।

- नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 03 कार्य दिवस (सम्बन्धित ए एवं वी श्रेणी की गन्ना समिति/परिषद में कम से कम 03 कार्य दिवस व यथावश्यकता सी श्रेणी की संस्थाओं में कम से कम 02 कार्य दिवस तथा डी श्रेणी की गन्ना समिति/परिषद में कम से कम 01 कार्य दिवस) कार्यालय में उपस्थित रहकर, समस्त वित्तीय रिकार्डों व लेखांकन प्रक्रियाओं विशेषकर पाक्षिक रूप से प्रत्येक बैंक खाते के किये गये बैंक समाधान की व्यवस्थित समीक्षा / जाँच (भौतिक व एस.जी. के पार्टल पर) की जायेगी एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल 4 व 5 पर संबंधित गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट्स की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त आडिट के दौरान परिलक्षित कमियों/ त्रुटियों का निराकरण नियमों के अनुरूप तत्परता से कराया जायेगा।
- आडिट पैनल द्वारा बाह्य आडिट के अन्तर्गत लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी समिति में किन्हीं कारणवश कई वर्षों से बाह्य लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी हो तो, उन समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा उक्त सी.ए. फर्म से करायी जा सकेगी, जिसके लिये उन्हें अतिरिक्त मानदेय भी देय होगा।
- परीक्षणोपरान्त यदि कोई गम्भीर त्रुटियां, अनियमिततायें या दुर्विनियोग का प्रकरण उजागर / परिलक्षित होता है या किसी गम्भीर वित्तीय दुराचार या कदाशयता की स्थिति संदेहप्रद होती है, तो उसे Red Flag कर संबंधित सचिव एवं जिला गन्ना अधिकारी के संज्ञान में डालते हुए, समयान्तर्गत निस्तारण कराया जायेगा।
- सी.ए. फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपनी आडिट रिपोर्ट संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त की संस्तुति सहित अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से आनलाइन एवं ई-मेल के माध्यम से आफ लाइन प्रस्तुत की जायेगी। इसके अतिरिक्त सी.ए. फर्म द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में गन्ना समिति/ गन्ना विकास परिषद की लेखापरीक्षित

12/8

संकलित वार्षिक आडिट रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित सीधे मुख्यालय को उपर्युक्तानुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भी प्रेषित की जायेगी।

2. जिले स्तर पर :-

- जिले स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का कोई 01 भिन्न लेखा लिपिक सहित जिला स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।
- उक्त आडिट पैनल द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रैमासिक रूप से अधीनस्थ गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के समस्त बिल वाउचर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन, मैनुअल एवं एस.जी. के. से तैयार हो रही बैलेंसशीट, उर्वरक व्यवसाय एवं प्राविधानित बजट के सापेक्ष व्यय की भौतिक रूप से सत्यापन एवं उपर्युक्त लेखांकन कार्यों का एस.जी. के के माध्यम से कियान्वयन की समीक्षा की जायेगी तथा त्रैमासिक रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। भौतिक अभिलेखीय सत्यापन हेतु जिला गन्ना अधिकारी के स्तर से पूर्व निश्चित तिथि में गन्ना समितियों / गन्ना विकास परिषदों द्वारा अपने समस्त वॉछित वित्तीय रिकार्ड जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- सी.ए. फर्म द्वारा जिले की गन्ना समितियों की लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा।
- प्रत्येक माह में जिला स्तरीय सी.ए. फर्म द्वारा गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की प्राप्त मासिक रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जायेगा एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल 4 व 5 पर जिले की गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त रिपोर्ट में पायी गयी गम्भीर कमियों/आपत्तियों के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा नियत की गयी कम से कम 01 गन्ना समिति और 01 गन्ना विकास परिषद का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा औचक निरीक्षणोपरान्त रिपोर्ट संस्तुति सहित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी, जिस पर उनके द्वारा अविलम्ब निर्णय लिया जायेगा।

3. परिक्षेत्र स्तर पर :-

- परिक्षेत्र स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालय के नामित भिन्न लेखा लिपिक सहित परिक्षेत्र स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।
- सी.ए. फर्म द्वारा परिक्षेत्र की गन्ना समितियों की लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों के नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा।
- प्रत्येक माह सी.ए. फर्म द्वारा परिक्षेत्राधीन समस्त गन्ना विकास समितियों, गन्ना विकास परिषदों द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट एवं जिले स्तर से प्राप्त त्रैमासिक आडिट रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जायेगा, साथ ही एस.जी.के. माड्यूल 4 व 5 पर परिक्षेत्र की गन्ना समितियों / परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त रिपोर्ट में पायी गयी गम्भीर कमियों के आधार पर उप गन्ना आयुक्त द्वारा नियत कम से कम 02 गन्ना समितियों एवं 02 गन्ना विकास परिषदों का मासिक रूप से औचक निरीक्षण करते हुए अपनी आडिट रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार उप गन्ना आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त तक परिक्षेत्र की समस्त गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की एक बार औचक निरीक्षण अवश्य कराया जायेगा। परिक्षेत्र स्तरीय सी.ए. फर्म द्वारा राज्य मुख्यालय को निरीक्षण की छमाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चयन की शर्तें :

1. समस्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का चयन परिक्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों द्वारा नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा। आन्तरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत किसी भी दशा में 01 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को 03/03 से अधिक गन्ना समितियों / गन्ना विकास परिषदों में नामित नहीं किया

५.

4/8

जायेगा। यह ध्यान रहे कि इसके अतिरिक्त किसी एक स्तर के आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को अन्य तीनों स्तर पर चयनित नहीं किया जायेगा।

2. संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म सी.ए.जी. (CAG) में पंजीकृत होनी चाहिए। पुष्टि के लिए latest Empanelment की प्रति प्राप्त की जायें।

3. फर्म में कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को The Institute of Chartered Accountants of India द्वारा नवीनतम जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्राप्त कराना होगा।

4. किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनके किसी पार्टनर का कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार संबंधित गन्ना समिति/परिषद में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।

5. उपर्युक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु सी.ए. फर्म का चयन 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तत्पश्चात् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के परफारमेन्स (निर्धारित मानक) के अनुरूप गन्ना आयुक्त/निबन्धक के अनुमोदन के क्रम में चयन कमेटी द्वारा नवीनीकरण करते हुए एक-एक वर्ष का कार्यकाल आगे अधिकतम 05 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

विभिन्न स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक दरों का निर्धारण :

क्रमांक	गन्ना समितियां श्रेणीवार	समिति में नामित (प्रति माह)	नामित परिषद में (प्रति माह)	जिला स्तर पर (प्रति माह)	मण्डल स्तर पर (प्रति माह)	राज्य स्तर पर (प्रति माह)
1.	A+ or A	20000/-	15000/-	35000/-	40000/-	45000/-
2.	B	18000/-	13000/-			
3.	C	15000/-	11000/-			
4.	D	10000/-	8000/-			

- गन्ना समिति/विकास परिषद हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस गन्ना समिति/परिषद द्वारा ही वहन की जायेगी।
- जिला स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। यदि संबंधित जिले में जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण का गठन न हो या वित्तीय रूप से सक्षम न हो तो, अधीनस्थ गन्ना समितियों/परिषदों से श्रेणीनुसार अंशदान प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा। अंशदान का निर्धारण चयन कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- परिक्षेत्र स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। यदि क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण वित्तीय रूप से सक्षम न हो तो, परिक्षेत्राधीन समस्त गन्ना समितियों/परिषदों से श्रेणीनुसार अंशदान प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा। अंशदान का निर्धारण चयन कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमुख कर्तव्य और जिम्मेदारियां :-

गन्ना विकास समितियों/परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित किये जाने में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें उनके द्वारा वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की सटीकता / शुचित्ता बनाये रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ विनियमों / दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा जोखिम प्रबन्धन (Risk Management) के साथ-साथ आंतरिक सुधार एवं नियंत्रण में मजबूती लाये जाने की सिफारिशें भी प्रदान की जायेंगी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के प्रमुख कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां विस्तृत रूप से निम्नवत् रेखांकित की जाती है :-

1. उपस्थित रहकर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा गन्ना समिति/परिषद कार्यालयों में उपस्थित रहकर समस्त लेखा रिकार्डों का गहनता से आडिट, वित्त एवं लेखांकन प्रक्रियाओं का मानकों के अनुरूप गहनता से मूल्यांकन, परिचालन दक्षता का आंश आंकलन एवं उनकी सटीकता एवं पारदर्शिता की जाँच की जायेगी। उनके द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों (समिति/परिषद) में अपनी



उपस्थिति औपचारिक रूप से एस.जी. के. सिस्टम पर "पंच-इन, पंच-आउट" (Punch-In, Punch-out) के रूप में दर्ज करनी होगी। उक्त के अतिरिक्त समितियों / परिषदों/जिला गन्ना अधिकारी कार्यालयों एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालयों में तैनात सी.ए. फर्म को अपनी आडिट एवं किये गये कार्यों की रिपोर्ट आनसाइट फीडिंग की सुविधा पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध होगी।

2. जोखिम प्रबन्धन (Risk Management): वित्तीय विसंगतियों, अपराध, धोखाधड़ी, गवन एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी तथा ऐसे मामलों का पता लगते ही उसके नुकसान की संभावना और नकारात्मक प्रभाव को रोकने / कम करने के लिये तत्परता के साथ तत्काल अधिकतम 48 घण्टे के भीतर नियमसंगत कार्यवाही कराते हुए उच्चाधिकारियों को रिपोर्टिंग करनी होगी।

3. गम्भीर वित्तीय मामलों की Red Flagging, Escalation & Time Bound Compliance: कोई गम्भीर वित्तीय प्रकरण, विसंगतियां या वर्षों से चले आ रहे ऐसी गम्भीर विशिष्ट आपत्तियां / मामले, जो संवेदनशील या संदेहप्रद प्रकट हो रहे हों तथा समिति को आर्थिक क्षति पहुँचा रहे हों और उनपर तत्काल कार्यवाही (compliance) अपेक्षित हो, ऐसे मामलों को चिन्हांकित करते हुए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का यह दायित्व होगा कि वह इसकी तत्काल और विधिवत सूचना संबंधित अधिकारियों को देते हुए इन्हें Red Flag की श्रेणी में दर्ज करें। तत्पश्चात् आपत्तियों / मामलों की प्रकृति एवं गम्भीरता के अनुरूप इनके समयबद्ध निराकरण (Time-bound compliance) हेतु समय निर्धारित कर निराकरण की नियमानुसार कार्यवाही करवायें। Red Flagged मामलों के निपटारे में यदि किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बरतना परिलक्षित हुई और मामला /प्रकरण मुख्यालय स्तर पर पहुँचा, तो प्रकरण में संबंधितों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की बाध्यता होगी, इसमें पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी कार्यवाही परिधि में आयेंगे।

4. परामर्शदाता एवं सलाहकार - सी.ए. फर्म द्वारा वित्तीय प्रक्रियाओं, आन्तरिक नियंत्रणों और अनुपालन उपायों को बेहतर बनाने के लिये समुचित निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रदान की जायेंगी। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना निष्कर्ष या सुझाव देने, समिति/परिषदीय कार्मिकों एवं अधिकारियों से कार्यावधि में सहजता से वार्ता एवं संवाद हेतु प्रभावी संचार दुरुस्त रखते हुए मोबाईल वार्ता या वाट्स एप ग्रुप के माध्यम से भी आपत्तियों का निराकरण करने के साथ-साथ कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र स्तर पर वाट्स एप ग्रुप के माध्यम से वित्तीय शंकाओं का समाधान यथाशीघ्र किया जायेगा

आडिट के दौरान परीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु (Scope of Work)

1- लेखा एवं बैंकिंग नियंत्रण-

- I. कार्यों का कार्मिकवार आवंटन, जिसमें फीडिंग करने वाला (Maker), परीक्षणकर्ता (Checker) और स्वीकृतकर्ता (Approer) अलग-अलग होना चाहिए।
- II. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त वाउचर्स के सत्यापित होने की स्थिति।
- III. गन्ना निवेश एप के माध्यम से क्रय-विक्रय एवं अवशेष स्टाक की प्रविष्टियों के मिलान की स्थिति।
- IV. कैश बुक एवं लेजर के दैनिक रूप से अद्यतन किये जाने तथा उनका वाउचर्स व बैंक विवरणों (Bank Statement) से मिलान।
- V. दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System) के अन्तर्गत लेखांकन कार्यों का सम्पादन।
- VI. गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के संस्थावार लेखा कार्यों का पृथक-पृथक परीक्षण एवं प्रविष्टियों का सत्यापन।
- VII. एस.जी.के. पोर्टल पर कर्मचारियों के मानव सम्पदा संबंधी प्रविष्टियों के अद्यावधिक होने एवं उनका सत्यापन।
- VIII. कार्मिकों के वेतन घटको एवं बैंक विवरणों का परीक्षण एवं सत्यापन। कार्मिकों के देयकों का Work Flow एवं उन्हें समय से सेवा लाभ दिये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को SMS Alert
- IX. कार्मिकों के वेतन घटकों एवं बैंक खाते में परिवर्तन/परिमार्जन हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।
- X. फॉर्म 26AS, बैंक प्रमाण पत्रों और खाता बही प्रविष्टियों के साथ ब्याज आय का मिलान।

2. बैंक सावधि जमा (एफ.डी.आर.)-

1. एफ.डी.आर. विनियोजन के संबंध में निर्गत अद्यावधिक आदेशों/ निर्देशों का अनुपालन।

- II. बैंक से FDR Confirmation Certificate प्राप्त किया जाना।
- III. एफ.डी.आर. की सुरक्षा- दो नामित अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा में मूल एफ.डी.आर. का अनुरक्षण।
- IV. अनुरक्षित एफ. डी. आर. की मूल प्रति का त्रैमासिक भौतिक सत्यापन एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र।
- V. एफ.डी.आर हेतु बैंक में धनराशि प्रेषण और बैंक द्वारा एफ.डी.आर. तैयार करने की तिथि।
- VI. एफ.डी.आर. परिपक्वता (Maturity) एवं पुनः विनियोजन (Re-appropriation) का आडिट करें।
- VII. एफ.डी.आर. रजिस्टर निर्धारित प्रारूप यथा-एफ.डी.आर. संख्या, बैंक का नाम व शाखा, विनियोजन की तिथि, विनियोजन की धनराशि, विनियोजन की अवधि, व्याज दर, परिपक्वता तिथि, परिपक्वता धनराशि आदि के अनुसार तैयार करना एवं विनियोजित एफ.डी.आर. की अद्यावधिक प्रविष्टि का परीक्षण।
- VIII. व्याज पर काटे गये टीडीएस (TDS) का दावा खातों में प्राप्य (Recoverable) के रूप में प्रदर्शित किया जाना।
- IX. एफ.डी.आर. के समयपूर्व भुनाने (Premature encashment) की स्थिति में उचित कारण एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होना एवं भुनायी गई धनराशि का निर्धारित मद में ही खर्च किये जाने की स्थिति।
- X. कैश बुक एवं लेजर में एफ.डी.आर. विनियोजन का विवरण अंकित किया जाना तथा परिपक्वता उपरान्त प्राप्त धनराशि से उसका मिलान किया जाना।

3. नकदी और बैंक नियंत्रण (Cash & Bank Controls)

1. नकदी और चेक बुक की संयुक्त अभिरक्षा की पुष्टि।
- II. चेक जारी करने वाले रजिस्टर में रद्द किए गए चेकों का सत्यापन।
- III. खोये हुए चेकों के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराने की स्थिति।
- IV. गन्ना विकास अंशदान प्राप्त करने हेतु आर.टी.जी.एस. प्रणाली के उपयोग करने की स्थिति।
- V. बैंक खाता खोलने के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृति।
- VI. बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement): सभी बैंक खातों के मासिक समाधान विवरण (भौतिक एवं एस.जी. के. पोर्टल) एवं उनमें विसंगति की स्थिति, उनके समाधान / निराकरण का उपाय तथा सामान्य बही खाते से उसका मिलान।
- VII. बैंक बैलेंस की पुष्टि मासिक बैंक बैलेंस की पुष्टि एवं लेजर से मिलान।
- VIII. प्रत्येक बैंक भुगतान प्रविष्टि का मिलान भुगतान के मूल बिल एवं बाउचर्स, जिनमें चेक संख्या, बाउचर क्रमांक, भुगतान का उद्देश्य/बिल विवरण आदि अंकित हो, के साथ किया जाना।
- IX. फुटकर नकदी (Petty Cash) सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना।
- X. चेक बुक का सुरक्षित रख-रखाव तथा खराब एवं अप्रयुक्त चेकों को ठीक प्रकार रद्द कर सही प्रकार से रखना।
- XI. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) पर समिति/परिषद के सभी बैंक खातों का खातावार बैलेंस पुष्टि प्रमाण-पत्र (Bank Balance Confirmation Certificate) प्राप्त कर खातों का मिलान किया जाना।

4. अदेय दावे (Unpaid Claim) का नियंत्रण-

1. सभी अदेय दावों का एक अलग रजिस्टर (SGK और मैनुअल) में उचित विवरण के साथ रख-रखाव एवं बैंक खातों से मासिक मिलान (Reconciliation)।
- II. मृत किसान रजिस्टर (Deceased Farmer Ledger) अलग से तैयार हो तथा मृत्यु की पुष्टि अभिलेखों एवं परिवार से प्राप्त जानकारी से करें तथा उसका अपडेशन एस.जी.के पर देखें।
- III. मृत किसानों के भुगतान के लिए आवश्यक अभिलेख यथा-मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, किसान आई डी और नामित व्यक्ति के आधार कार्ड का मिलान।
- iv. लम्बित दावे, रजिस्टर में अलग से तैयार हो, जिसके लिए नोटिसें आदि जारी कर उचित फालोअप हो।
- v. एक वर्ष से अधिक पुराने दावे सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद Unclaimed Liability Account में स्थानान्तरित किये जाय।
- vi. अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन।

5. वजटीय नियंत्रण (Budgetary Controls)-

1. समिति बजट हेतु समय-समय जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन।
- ii. यह सुनिश्चित किया जाय कि पोर्टल पर सभी बजट शीर्षक (Budget Head) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा किसी भी ओवररन (Over-run) या अंतर मद समायोजन (Inter-head Adjustment) की स्थिति में सिस्टम अलर्ट।

6- गन्ना विकास अंशदान-

1. पेराई सत्र के दौरान पाक्षिक रूप से आपूर्तित गन्ने की मात्रा एवं उसके अनुसार गन्ना विकास अंशदान की गणना।
- ii. पेराई सत्र की समाप्ति पर कुल आपूर्तित गन्ने की मात्रा का मिलान चीनी मिल अभिलेखों से किया जाना तथा तदनुसार समिति अंशदान की गणना।
- iii. गन्ना समिति/परिषद स्तर से दैनिक आपूर्तित गन्ने की सूचना एस.जी.के. पोर्टल पर अपडेट किया जाना।
- iv. लेखा अभिलेखों में गन्ना विकास अंशदान से आय के विवरण सही प्रकार से अंकित किया जाना।

7. कृषि निवेश (Agri Inputs) वितरण एवं ऋण नियंत्रण-

1. कृषि निवेश (Agri Inputs) वितरण हेतु पंजीकृत और पात्र सदस्यों को ही क्रेडिट पर वितरित किया जाए। ऐसे सदस्यों को कोई सहायता न दी जाये जिनकी पूर्व देनदारियां बकाया है या डिफाल्टर है।
- ii. प्रत्येक सदस्य को वितरित की गई कृषि निवेश (Agri inputs) की मात्रा उनके लोन लिमिट, जोकि उनके सत्यापित गन्ना क्षेत्रफल (SGK डाटा) के अनुसार हो।
- iii. आवंटन सूची और अनुमोदन दस्तावेजों की समीक्षा करें, ताकि वितरण न्यायसंगत और पारदर्शी हो।
- iv. एक उचित ऋण खाता-बही (Loan Ledger) रखी जाए, जिसमें सभी लेनदेन प्रारंभिक शेष, वितरण, वसूली, ब्याज गणना, पुनर्भुगतान और इतिशेष (Closing Balance) दर्ज हों।

8. अन्य अभिलेखीय रख-रखाव (Other Records & Documentation)-

1. नियत मानको एवं मदों से इत्तर के अभिलेखों में "Paid by me" की स्थिति।
- ii. डेड स्टॉक रजिस्टर में सही प्रारूप पर अद्यावधिक प्रविष्टियां एवं उनका सत्यापन।
- iii. डेड स्टॉक में राइट ऑफ (Right off) नीति के क्रियान्वयन की स्थिति।
- iv. वित्तीय वर्ष के अन्त में वर्किंग स्टेटमेंट एवं सभी बैंक समाधान पूर्ण होने के बाद ही बैलेन्सशीट को अन्तिम रूप दिया जाना।

9. सामान्य एवं विशेष लेखा परीक्षा (General Audit Procedures) -

1. सामान्य एवं विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निस्तारण कराया जाना।
- ii. वित्तीय अनियमितताओं या संदिग्ध प्रविष्टियों का विवरण तैयार करना।
- iii. स्वीकृत बजट, वास्तविक आय एवं व्यय की तुलना।
- iv. स्वीकृत बजट से आधिक्य व्यय का मिलान एवं रिपोर्ट तैयार करना।
- v. अलिखित लेन-देन का विवरण तैयार करना एवं विसंगति दूर कराना।
- vi. लापरवाही के कारण हुई वित्तीय क्षति।
- vii. स्वीकृत अग्रिमों के सापेक्ष वसूली।
- viii. समिति द्वारा वितरित ऋण के बैंक रिक्यूपमेंट / वसूली की स्थिति।
- ix. उत्तरदायी कार्मिक के द्वारा बरते गये गवन/अनियमितता/लापरवाही का अभिलेख तैयार करना।
- x. बाह्य लेखा परीक्षा के दौरान सहयोग।
- xi. समिति एवं परिषद के कार्मिकों को आवंटित कार्य के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना।
- xiii. सहकारी गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु अन्य कोई सुझाव दिया जाना होगा।

गन्ना समितियों/परिषदों में आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का यह कर्तव्य / दायित्व होगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से व्यवस्थित, अनुशासित एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गन्ना समिति / परिषद के समग्र वित्तीय कार्यकलापों एवं लेखांकन प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का

←

2
8


नियमानुरूप मूल्यांकन करेंगे तथा लेखा परीक्षा के दौरान किसी अनियमितता या गबन का प्रकरण उदघाटित होने पर तत्काल उच्च स्तरों को रिपोर्ट करेंगे।

वर्तमान में गन्ना समितियों/परिषदों का समस्त वित्त एवं लेखा संबंधी कार्य स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल (एस.जी.के.) के माड्यूल 04 एवं 05 के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पादित किया जा रहा है। इसी क्रम में एस.जी.के. पोर्टल पर गन्ना समितियों / परिषदों के "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System) को माड्यूल 04 व 05 के अन्तर्गत यथास्थान विकसित कर समस्त आडिट प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जायेगा, ताकि मैनुअल त्रुटियों को कम करते हुए जोखिम प्रबन्धन (Risk Management) के तहत वास्तविक समय में डेटा की निगरानी करने से कमियों/ त्रुटियों का त्वरित निराकरण हो सके।

सहकारी गन्ना विकास समितियों/गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं पर पूर्णतः प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए उक्त संस्थाओं में कुशल वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जाना है, जिससे संस्था में किसी प्रकार की न तो वित्तीय अनियमितताएँ हों और न ही गबन /व्यपहरण की घटना ही घटित हो। किन्तु इसके विपरीत यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह स्थिति प्रकाश में आती है कि विभागीय कार्मिकों से मिलीभगत कर या कदाशयतावश् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किसी अनियमितता या गबन को जानबूझ कर उदघाटित / उजागर नहीं किया गया था ऐसे प्रकरणों को अपनी आडिट रिपोर्ट में छिपा लिया गया, जो गन्ना समिति की किसी क्षति का कारण बनती है तो ऐसे वित्तीय गबन / अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित दोषी अधिकारी / कर्मचारी के साथ-साथ संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता, प्रभावशीलता, दक्षता और विश्वसनीयता को नियमित रूप से बनाये रखने के उद्देश्य से एवं विभिन्न स्तरों से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को देय पारिश्रमिक के संबंध में परिचर्चा एवं मूल्यांकन करने के उपरान्त उनको जी.एस.टी. सहित देय अधिकतम् फीस का निर्धारण किया जायेगा।

अतः उपर्युक्त वर्णित दिशा-निर्देशों का मंशानुरूप अक्षरशः अनुपालन करते हुए सहकारी गन्ना विकास समिति / परिषद, जिला एवं परिक्षेत्र स्तर पर "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System) को पूर्ण प्रभावशीलता से लागू कराया जाये। उपर्युक्तानुसार निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त सभी स्तरों के आडिट पैनल/सी.ए. फर्म को समय-समय पर यथावश्यक / समकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, जिसे पूर्ण करने हेतु संबंधित आडिट पैनल/सी.ए. फर्म बाध्य होगी।


सचिव/सदस्य
सहकारी गन्ना विकास समिति
सेवरही


जिला गन्ना अधिकारी/सदस्य
देवरिया


ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/सदस्य
गन्ना विकास परिषद
सेवरही


अध्यक्ष/ सदस्य
सहकारी गन्ना विकास समिति
सेवरही

उप गन्ना आयुक्त/अध्यक्ष
देवरिया

कार्यालय आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।

17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

Email-samiticamp@gmail.com

पत्रांक: 1154/C/आडिट/05/लखनऊ, दिनांक: 05-12-2025

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के चयन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्रांक-934/सी/ आडिट/05/ लखनऊ दिनांक 07-11-2025 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 64 के तहत प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों में एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) विनियमन नियमावली, 1954 के नियम 14 के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषदों में वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए कुशल वित्तीय अनुशासन स्थापित किये जाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System) नियमित रूप से लागू कराये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस क्रम में गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद, जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालयों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के चयन हेतु चयन कमेटी का भी गठन किया गया है।

उपर्युक्त दिशा-निर्देश दिनांक 07-11-2025 के क्रम में चयन कमेटियों द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के चयन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को देय पारिश्रमिक एवं उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध में निम्नवत् अतिरिक्त बिन्दुओं पर कतिपय निर्देश/आदेश पारित किये जा हैं:-

1- गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराये जाने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं पर पूर्णतः प्रभावी नियंत्रण लगाते हुए उक्त संस्थाओं में कुशल वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जाना है, जिससे संस्था में किसी प्रकार की न तो वित्तीय अनियमिततायें हों और न ही गबन/व्यपहरण की घटना ही घटित हो। किन्तु इसके विपरीत यदि किन्हीं परिस्थितियों में यह स्थिति प्रकाश में आती है कि विभागीय कार्मिकों से मिलीभगत कर या कदाशयतावत् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किसी अनियमितता या गबन को जानबूझ कर उद्घाटित/उजागर नहीं किया गया या ऐसे प्रकरणों को अपनी आडिट रिपोर्ट में छिपा लिया गया, जो गन्ना समिति की किसी क्षति का कारण बनती है तो ऐसे वित्तीय गबन/अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के साथ-साथ संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

2- आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता, प्रभावशीलता, दक्षता और विश्वसनीयता को नियमित रूप से बनाये रखने के उद्देश्य से एवं विभिन्न स्तरों से चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को देय पारिश्रमिक के संबंध में परिचर्चा एवं मूल्यांकन करने के उपरान्त उनको जी.एस.टी. सहित देय अधिकतम फीस का निर्धारण किया गया है। तत्क्रम में कमेटी द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों का चयन नियमानुसार GEM (जेम पोर्टल) के माध्यम से यथाशीघ्र करने का कष्ट करें। टेक्निकल बिड में उल्लेख किये जाने वाली बिन्दुवार शर्तें पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

Selection criteria for engaging Internal Auditors for Cane Societies and Council.

SL. No.	CRITERIA	BASIS OF MARKS	MAXIMUM MARKS
1	Experience of the Firm: Firm should be empaneled with CAG and the minimum experience is 7 years as on 01.04.2025.	1 mark per year above 7 years of experience (fraction of the year to be ignored)	10
2	Peer Review: Peer Review Certificate of the firm given by the Institute of Chartered Accountants of India.	5 marks	5
3	Similar work Experience The firm must have carried out and completed similar assignments in last 3 Financial Years in internal audit of a PSU/Society/Trust or any Autonomous Body.	5 marks per year of audit above 3 Years having similar nature work Experience	15
4	Number of Partners: The firm should have at least three FCA Parterres having experience of minimum 10 years as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	Above 3 FCA Partners 3 marks for each partner who is ACA (Associate Chartered Accountant) 5 marks for each partner who is FCA (Fellow Chartered Accountant)	10
5	(a) DISA/CISA Qualification: The firm should have at least One full-time partners having DISA/CISA Qualified who is in the firm as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	2 marks for each partner having DISA/ CISA	5
6	Turnover of Firm: Average Turnover of Firm for last 3 financial years: (2022-23, 2023-24 and 2024-25)	Up to 30 lakh - 4 Marks 30 Lakh to 60 lakh - 8 Marks 60 Lakh to 80 lakh - 12 Marks 80 Lakh to 100 lakh - 16 Marks More than 100 lakh - 20 Marks	20
7	Location: Audit firms having Registered Office/Branch Office as on 01.04.2025 and continuing thereafter.	Registered Office/Branch Office located within division: 5 -Marks Registered Office/Branch Office located outside the division: 2 - Marks	5
8	Audit Methodology What Audit Methodology Firm will adopt specifically for conducting the Internal Audit of the UP-Cane Development Society and the UP-Cane Development Council.	Understanding of Scope of Work - 5 Marks Approach & Methodology - 10 Marks Presentation & Clarity - 5 Marks Past Experience Reference - 10 Marks	30
	Total		100
	1. To Qualify for Assignment: A CA firm must score at least Minimum Marks 2. Qualifying firm should not score ZERO in any criteria.	Minimum Marks - 60 Marks	

महत्त्वपूर्ण / आवश्यक

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

Email-samiticamp@gmail.com

पत्रांक: 934/c/आडिट/05/लखनऊ,

दिनांक: 07/11/2025

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषय:—गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयक कृपया उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-64 में वर्णित प्राविधानों एवं शासन के पत्र संख्या: 1540/46-3-20-58 (51)/2019 दिनांक: 25.09.2020 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या: 482/सी/आडिट/05 दिनांक 22-11-2022 द्वारा प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लेखों एवं संतुलन-पत्रों के आडिट कार्य हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का पैनल गठन किये जाने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस क्रम में समस्त गन्ना समितियों में आपके स्तर से नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा लेखों एवं संतुलन पत्रों का आडिट करते हुए अपनी आडिट रिपोर्ट एवं आडिटेड बैलेंसशीट प्रेषित की गयी तथा इस स्तर से पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान भी उनको किया जा रहा है।

वर्तमान में गन्ना समिति हापुड़ (जिला हापुड़) में उद्घाटित गम्भीर आपराधिक गबन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-64 के तहत प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) विनियमन नियमावली, 1954 के नियम-14 के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषदों में एक स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System) नियमित रूप से लागू कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि जोखिम प्रबन्धन (Risk Management) के तहत गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों में वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए कुशल वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जा सके।

क. गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों हेतु "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System)— आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को पूर्ण प्रभावशीलता, दक्षता और विश्वसनीयता के साथ निम्नलिखित 04 विभिन्न स्तरों पर लागू किया जायेगा:—

1) गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद स्तर पर :-

- प्रत्येक गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, समिति/परिषद आउटसोर्स लेखाकार एवं समिति/परिषद के लेखाकार/

प्राप्त

उ. प्र. शा.

11.11.2025

प्रभारी लेखाकार को मिलाकर एक समिति/परिषद स्तरीय आडिट पैनल गठित किया जायेगा। सामान्यतः चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की 01 फर्म को यथासम्भव/यथायोग्य 01 जिले की 03 गन्ना समितियां एवं 03 गन्ना विकास परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु नामित किया जायेगा। यदि जिले में समितियों/परिषदों की संख्या 03/03 से कम है, तो निकटवर्ती जिले की समिति/परिषद को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तथा यदि उस जिले में गन्ना समितियों/परिषदों की संख्या 03/03 से अधिक है तो उनके लिये पृथक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म योजित की जायेगी। सी.ए. फर्म को आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु समितियां/परिषदें आवंटित किये जाने से पूर्व उनकी श्रेणियां अवश्य ध्यान में रखनी है अर्थात् किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को केवल ए ग्रेड की अथवा किसी को केवल डी ग्रेड की समस्त गन्ना समितियां/परिषदें आवंटित न कर मिली-जुली ग्रेड की गन्ना समितियां/परिषदें आवंटित की जायेंगी।

- नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 03 कार्य दिवस (सम्बन्धित ए एवं बी श्रेणी की गन्ना समिति/परिषद में कम से कम 03 कार्य दिवस व यथावश्यकता सी श्रेणी की संस्थाओं में कम से कम 02 कार्य दिवस तथा डी श्रेणी की गन्ना समिति/परिषद में कम से कम 01 कार्य दिवस) कार्यालय में उपस्थित रहकर, समस्त वित्तीय रिकार्डों व लेखांकन प्रक्रियाओं विशेषकर पाक्षिक रूप से प्रत्येक बैंक खाते के किये गये बैंक समाधान की व्यवस्थित समीक्षा/जॉच (भौतिक व एस.जी.के पार्टल पर) की जायेगी एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल-4 व 5 पर संबंधित गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट्स की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त आडिट के दौरान परिलक्षित कमियों/त्रुटियों का निराकरण नियमों के अनुरूप तत्परता से कराया जायेगा।
- आडिट पैनल द्वारा वाह्य आडिट के अन्तर्गत लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी समिति में किन्हीं कारणवश कई वर्षों से वाह्य लेखा परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी हो तो, उन समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा उक्त सी.ए. फर्म से करायी जा सकेगी, जिसके लिये उन्हें अतिरिक्त मानदेय भी देय होगा।
- परीक्षणोपरान्त यदि कोई गम्भीर त्रुटियां, अनियमिततायें या दुर्विनियोग का प्रकरण उजागर/परिलक्षित होता है या किसी गम्भीर वित्तीय दुराचार या कदाशयता की स्थिति संदेहप्रद होती है, तो उसे Red Flag कर संबंधित सचिव एवं जिला गन्ना अधिकारी के संज्ञान में डालते हुए, समयान्तर्गत निस्तारण कराया जायेगा।
- सी.ए. फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपनी आडिट रिपोर्ट संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त

को संस्तुति सहित अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से आनलाइन एवं ई-मेल के माध्यम से आफ-लाइन प्रस्तुत की जायेगी। इसके अतिरिक्त सी.ए. फर्म द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद की लेखापरीक्षित संकलित वार्षिक आडिट रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित सीधे मुख्यालय को उपर्युक्तानुसार ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भी प्रेषित की जायेगी।

2) जिले स्तर पर :-

- जिले स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का कोई 01 भिन्न लेखा लिपिक सहित जिला स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।
- उक्त आडिट पैनल द्वारा जिला गन्ना अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रैमासिक रूप से अधीनस्थ गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के समस्त बिल वाउचर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन, मैनुअल एवं एस.जी.के. से तैयार हो रही बैलेंसशीट, उर्वरक व्यवसाय एवं प्राविधानित बजट के सापेक्ष व्यय की भौतिक रूप से सत्यापन एवं उपर्युक्त लेखांकन कार्यों का एस.जी.के. के माध्यम से क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी तथा त्रैमासिक रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। भौतिक अभिलेखीय सत्यापन हेतु जिला गन्ना अधिकारी के स्तर से पूर्व निश्चित तिथि में गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों द्वारा अपने समस्त वांछित वित्तीय रिकार्ड जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- सी.ए. फर्म द्वारा जिले की गन्ना समितियों की लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा।
- प्रत्येक माह में जिला स्तरीय सी.ए. फर्म द्वारा गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की प्राप्त मासिक रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जायेगा एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल-4 व 5 पर जिले की गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त रिपोर्ट में पायी गयी गम्भीर कमियों/आपत्तियों के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा नियत की गयी कम से कम 01 गन्ना समिति और 01 गन्ना विकास परिषद का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा औचक निरीक्षणोपरान्त रिपोर्ट संस्तुति सहित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी, जिस पर उनके द्वारा अविलम्ब निर्णय लिया जायेगा।

3) परिक्षेत्र स्तर पर :-

- परिक्षेत्र स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालय के नामित भिन्न लेखा लिपिक सहित परिक्षेत्र स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।

- सी.ए. फर्म द्वारा परिक्षेत्र की गन्ना समितियों की लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग के स्तर से प्राप्त होने वाली सामान्य एवं विशेष आडिट आपत्तियों के नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जायेगा।
- प्रत्येक माह सी.ए. फर्म द्वारा परिक्षेत्राधीन समस्त गन्ना विकास समितियों, गन्ना विकास परिषदों द्वारा प्रेषित मासिक रिपोर्ट एवं जिले स्तर से प्राप्त त्रैमासिक आडिट रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जायेगा, साथ ही एस.जी.के. माड्यूल-4 व 5 पर परिक्षेत्र की गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी। समीक्षोपरान्त रिपोर्ट में पायी गयी गम्भीर कमियों के आधार पर उप गन्ना आयुक्त द्वारा नियत कम से कम 02 गन्ना समितियों एवं 02 गन्ना विकास परिषदों का मासिक रूप से औचक निरीक्षण करते हुए अपनी आडिट रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार उप गन्ना आयुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त तक परिक्षेत्र की समस्त गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों की एक बार औचक निरीक्षण अवश्य कराया जायेगा। परिक्षेत्र स्तरीय सी.ए. फर्म द्वारा राज्य मुख्यालय को निरीक्षण की छमाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

4) राज्य स्तर पर :-

- राज्य/मुख्यालय स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म, आउटसोर्स लेखाकार एवं गन्ना आयुक्त/निबन्धक द्वारा नामित भिन्न लिपिक/प्रशासनिक अधिकारी को सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय आडिट पैनल का गठन किया जायेगा।
- आडिट पैनल द्वारा लेखा परीक्षा, सहकारी समितियां एवं पंचायतें विभाग/शासन स्तर से प्राप्त विशेष आडिट आपत्तियों का परीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए नियमानुसार निष्पादन कराये जाने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों में गठित आन्तरिक लेखा परीक्षा पैनल के स्तर से प्राप्त वार्षिक आडिट रिपोर्ट एवं परिक्षेत्र स्तर पर नामित आडिट पैनल से प्राप्त छमाही आडिट रिपोर्ट का परीक्षण एवं साथ ही एस.जी.के. माड्यूल-4 व 5 पर प्रदेश की गन्ना समितियों/परिषदों की आनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा भी की जायेगी तथा अपनी संकलित आख्या एवं संस्तुतियां समय-समय मुख्यालय पर गन्ना आयुक्त/निबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी।
- प्रदेश में स्थित गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के संबंध में कोई कदाचार/कदाशयता, वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि की शिकायत संज्ञान में आने पर अथवा समिति/परिषद, जिला, परिक्षेत्र स्तरीय आडिट पैनल द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता का तथ्य संज्ञानित कराये जाने पर, राज्य स्तरीय आडिट पैनल, गन्ना आयुक्त/निबन्धक के निर्देश के क्रम में प्रदेश की किसी गन्ना समिति/परिषद में जाँच/आडिट हेतु औचक निरीक्षण कर सकेगी।

वर्णित चारों स्तर पर गठित आडिट पैनल/सी.ए. फर्म, गन्ना आयुक्त/निबन्धक, उ.प्र. के उपर्युक्त आदेशों/निर्देशों के साथ-साथ यथाआवश्यकता/यथासमय सौंपे गये अन्य कार्यों/दायित्वों के निर्वहन किया जायेगा।

ख. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चयन की शर्तें :

1. समस्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का चयन परिक्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों द्वारा नियमानुसार जेम पोर्टल से किया जायेगा। आन्तरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत किसी भी दशा में 01 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को 03/03 से अधिक गन्ना समितियों/गन्ना विकास परिषदों में नामित नहीं किया जायेगा। यह ध्यान रहे कि इसके अतिरिक्त किसी एक स्तर के आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को अन्य तीनों स्तर पर चयनित नहीं किया जायेगा।
2. संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म सी.ए.जी.(CAG) में पंजीकृत होनी चाहिए। पुष्टि के लिए latest Empanelment की प्रति प्राप्त की जायें।
3. फर्म में कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को The Institute of Chartered Accountants of India द्वारा नवीनतम जारी प्रमाण-पत्र की प्रति प्राप्त कराना होगा।
4. किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उनके किसी पार्टनर का कोई सगा-संबन्धी या रिश्तेदार संबंधित गन्ना समिति/परिषद में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए।
5. उपर्युक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा हेतु सी.ए. फर्म का चयन 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तत्पश्चात् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के परफारमेन्स (निर्धारित मानक) के अनुरूप गन्ना आयुक्त/निबन्धक के अनुमोदन के क्रम में चयन कमेटी द्वारा नवीनीकरण करते हुए एक-एक वर्ष का कार्यकाल आगे अधिकतम 05 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

ग. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के चयन हेतु कमेटी का गठन :

1. गन्ना समिति व परिषद/जिला/परिक्षेत्रीय स्तर के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के चयन हेतु समिति निम्न प्रकार होगी :-

- | | |
|---|---------|
| • उप गन्ना आयुक्त | अध्यक्ष |
| • परिक्षेत्र मुख्यालय का जिला गन्ना अधिकारी | सदस्य |
| • ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक (सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति) | सदस्य |
| • सचिव, गन्ना समिति (सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति) | सदस्य |
| • अध्यक्ष, गन्ना समिति (सर्वाधिक गन्ना आपूर्ति) | सदस्य |

2. राज्य स्तर के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म हेतु चयन समिति-

गन्ना आयुक्त/निबन्धक, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उ.प्र. द्वारा अनुमोदित कमेटी राज्य स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का चयन करेगी।

घ. विभिन्न स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक दरों का निर्धारण :

क्रमांक	गन्ना समितियां श्रेणीवार	समिति में नामित (प्रति माह)	परिषद में नामित (प्रति माह)	जिला स्तर पर (प्रति माह)	मण्डल स्तर पर (प्रति माह)	राज्य स्तर पर (प्रति माह)
1.	A+ or A	20000/-	15000/-	35000/-	40000/-	45000/-
2.	B	18000/-	13000/-			
3.	C	15000/-	11000/-			
4.	D	10000/-	8000/-			

- गन्ना समिति/विकास परिषद हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस गन्ना समिति/परिषद द्वारा ही वहन की जायेगी।
- जिला स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। यदि संबंधित जिले में जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण का गठन न हो या वित्तीय रूप से सक्षम न हो तो, अधीनस्थ गन्ना समितियों/परिषदों से श्रेणीनुसार अंशदान प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा। अंशदान का निर्धारण चयन कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- परिक्षेत्र स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की फीस क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी। यदि क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण वित्तीय रूप से सक्षम न हो तो, परिक्षेत्राधीन समस्त गन्ना समितियों/परिषदों से श्रेणीनुसार अंशदान प्राप्त कर भुगतान किया जायेगा। अंशदान का निर्धारण चयन कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- राज्य स्तर पर नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फीस राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन की जायेगी।

ड. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमुख कर्तव्य और जिम्मेदारियां :-

गन्ना विकास समितियों/परिषदों की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पादित किये जाने में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसमें उनके द्वारा वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की सटीकता/शुचिता बनाये रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ विनियमों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा जोखिम प्रबन्धन (Risk Management) के साथ-साथ आंतरिक सुधार एवं नियंत्रण में मजबूती लाये जाने की सिफारिशें भी प्रदान की जायेंगी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म के प्रमुख कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां विस्तृत रूप से निम्नवत् रेखांकित की जाती है :-

1. उपस्थित रहकर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा गन्ना समिति/परिषद कार्यालयों में उपस्थित रहकर समस्त लेखा रिकार्डों का

गहनता से आडिट, वित्त एवं लेखांकन प्रक्रियाओं का मानकों के अनुरूप गहनता से मूल्यांकन, परिचालन दक्षता का आंकलन एवं उनकी सटीकता एवं पारदर्शिता की जाँच की जायेगी। उनके द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों (समिति/परिषद) में अपनी उपस्थिति औपचारिक रूप से एस.जी.के. सिस्टम पर "पंच-इन, पंच-आउट" (Punch-in, Punch-out) के रूप में दर्ज करनी होगी। उक्त के अतिरिक्त समितियों/परिषदों/जिला गन्ना अधिकारी कार्यालयों एवं उप गन्ना आयुक्त कार्यालयों में तैनात सी.ए. फर्म को अपनी आडिट एवं किये गये कार्यों की रिपोर्ट आनसाइट फीडिंग की सुविधा पोर्टल पर आनलाइन उपलब्ध होगी।

2. **जोखिम प्रबन्धन (Risk Management):** वित्तीय विसंगतियों, अपराध, धोखाधड़ी, गबन एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी तथा ऐसे मामलों का पता लगते ही उसके नुकसान की संभावना और नकारात्मक प्रभाव को रोकने/कम करने के लिये तत्परता के साथ तत्काल अधिकतम 48 घण्टे के भीतर नियमसंगत कार्यवाही कराते हुए उच्चाधिकारियों को रिपोर्टिंग करनी होगी।
3. **गम्भीर वित्तीय मामलों की Red Flagging, Escalation & Time Bound Compliance :** कोई गम्भीर वित्तीय प्रकरण, विसंगतियां या वर्षों से चले आ रहे ऐसी गम्भीर विशिष्ट आपत्तियां/मामले, जो संवेदनशील या संदेहप्रद प्रकट हो रहे हों तथा समिति को आर्थिक क्षति पहुँचा रहे हों और उनपर तत्काल कार्यवाही (compliance) अपेक्षित हो, ऐसे मामलों को चिन्हांकित करते हुए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का यह दायित्व होगा कि वह इसकी तत्काल और विधिवत सूचना संबंधित अधिकारियों को देते हुए इन्हें Red Flag की श्रेणी में दर्ज करें। तत्पश्चात् आपत्तियों/मामलों की प्रकृति एवं गम्भीरता के अनुरूप इनके समयबद्ध निराकरण (Time-bound compliance) हेतु समय निर्धारित कर निराकरण की नियमानुसार कार्यवाही करवायें। Red Flagged मामलों के निपटारे में यदि किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बरतना परिलक्षित हुई और मामला/प्रकरण मुख्यालय स्तर पर पहुँचा, तो प्रकरण में संबंधितों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की बाध्यता होगी, इसमें पर्यवेक्षणीय अधिकारी भी कार्यवाही परिधि में आयेंगे।
4. **परामर्शदाता एवं सलाहकार :-** सी.ए. फर्म द्वारा वित्तीय प्रक्रियाओं, आन्तरिक नियंत्रणों और अनुपालन उपायों को बेहतर बनाने के लिये समुचित निष्कर्ष एवं सिफारिशें प्रदान की जायेंगी। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना निष्कर्ष या सुझाव देने, समिति/परिषदीय कार्मिकों एवं अधिकारियों से कार्यावधि में सहजता से वार्ता एवं संवाद हेतु प्रभावी संचार दुरुस्त रखते हुए मोबाईल वार्ता या वाहट्स-एप ग्रुप के माध्यम से भी आपत्तियों का निराकरण करने के साथ-साथ कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र स्तर पर वाहट्स-एप ग्रुप के माध्यम से वित्तीय शंकाओं का समाधान यथाशीघ्र किया जायेगा

ll

च. आडिट के दौरान परीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु (Scope of Work)

- 1- लेखा एवं बैंकिंग नियंत्रण—
 - I. कार्यों का कार्मिकवार आवंटन, जिसमें फीडिंग करने वाला (Maker), परीक्षणकर्ता (Checker) और स्वीकृतकर्ता (Approver) अलग-अलग होना चाहिए।
 - II. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त वाउचर्स के सत्यापित होने की स्थिति।
 - III. गन्ना निवेश एप के माध्यम से क्रय-विक्रय एवं अवशेष स्टॉक की प्रविष्टियों के मिलान की स्थिति।
 - IV. कैश बुक एवं लेजर के दैनिक रूप से अद्यतन किये जाने तथा उनका बाउचर्स व बैंक विवरणों (Bank Statement) से मिलान।
 - V. दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (Double Entry System) के अन्तर्गत लेखांकन कार्यों का सम्पादन।
 - VI. गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के संस्थावार लेखा कार्यों का पृथक-पृथक परीक्षण एवं प्रविष्टियों का सत्यापन।
 - VII. एस.जी.के. पोर्टल पर कर्मचारियों के मानव सम्पदा संबंधी प्रविष्टियों के अद्यावधिक होने एवं उनका सत्यापन।
 - VIII. कार्मिकों के वेतन घटकों एवं बैंक विवरणों का परीक्षण एवं सत्यापन। कार्मिकों के देयकों का Work Flow एवं उन्हें समय से सेवा लाभ दिये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को SMS Alert.
 - IX. कार्मिकों के वेतन घटकों एवं बैंक खाते में परिवर्तन/परिमार्जन हेतु सक्षम अधिकारी का अनुमोदन।
 - X. फॉर्म 26AS, बैंक प्रमाण पत्रों और खाता बही प्रविष्टियों के साथ ब्याज आय का मिलान।
2. बैंक सावधि जमा (एफ.डी.आर.)
 - I. एफ.डी.आर. विनियोजन के संबंध में निर्गत अद्यावधिक आदेशों/निर्देशों का अनुपालन।
 - II. बैंक से FDR Confirmation Certificate प्राप्त किया जाना।
 - III. एफ.डी.आर. की सुरक्षा— दो नामित अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा में मूल एफ.डी.आर. का अनुरक्षण।
 - IV. अनुरक्षित एफ.डी.आर. की मूल प्रति का त्रैमासिक भौतिक सत्यापन एवं सत्यापन प्रमाण-पत्र।
 - V. एफ.डी.आर. हेतु बैंक में धनराशि प्रेषण और बैंक द्वारा एफ.डी.आर. तैयार करने की तिथि।
 - VI. एफ.डी.आर. परिपक्वता (Maturity) एवं पुनः विनियोजन (Re-appropriation) का आडिट करें।
 - VII. एफ.डी.आर. रजिस्टर निर्धारित प्रारूप यथा—एफ.डी.आर. संख्या, बैंक का नाम व शाखा, विनियोजन की तिथि, विनियोजन की धनराशि, विनियोजन की अवधि, ब्याज दर, परिपक्वता तिथि, परिपक्वता धनराशि आदि के अनुसार तैयार करना एवं विनियोजित एफ.डी.आर. की अद्यावधिक प्रविष्टि का परीक्षण।

- VIII. ब्याज पर काटे गये टीडीएस (TDS) का दावा खातों में प्राप्य (Recoverable) के रूप में प्रदर्शित किया जाना।
- IX. एफ.डी.आर. के समयपूर्व भुनाने (Premature encashment) की स्थिति में उचित कारण एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होना एवं भुनायी गई धनराशि का निर्धारित मद में ही खर्च किये जाने की स्थिति।
- X. कैश बुक एवं लेजर में एफ.डी.आर. विनियोजन का विवरण अंकित किया जाना तथा परिपक्वता उपरान्त प्राप्त धनराशि से उसका मिलान किया जाना।

3. नकदी और बैंक नियंत्रण (Cash & Bank Controls)

- I. नकदी और चेक बुक की संयुक्त अभिरक्षा की पुष्टि।
- II. चेक जारी करने वाले रजिस्टर में रद्द किए गए चेकों का सत्यापन।
- III. खोये हुए चेकों के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराने की स्थिति।
- IV. गन्ना विकास अंशदान प्राप्त करने हेतु आर.टी.जी.एस. प्रणाली के उपयोग करने की स्थिति।
- V. बैंक खाता खोलने के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृति।
- VI. बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement) : सभी बैंक खातों के मासिक समाधान विवरण (भौतिक एवं एस.जी.के. पोर्टल) एवं उनमें विसंगति की स्थिति, उनके समाधान/निराकरण का उपाय तथा सामान्य बही खाते से उसका मिलान।
- VII. बैंक बैलेंस की पुष्टि : मासिक बैंक बैलेंस की पुष्टि एवं लेजर से मिलान।
- VIII. प्रत्येक बैंक भुगतान प्रविष्टि का मिलान भुगतान के मूल बिल एवं बाउचर्स, जिनमें चेक संख्या, बाउचर क्रमांक, भुगतान का उद्देश्य/बिल विवरण आदि अंकित हो, के साथ किया जाना।
- IX. फुटकर नकदी (Petty Cash) सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाना।
- X. चेक बुक का सुरक्षित रख-रखाव तथा खराब एवं अप्रयुक्त चेकों को ठीक प्रकार रद्द कर सही प्रकार से रखना।
- XI. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति (31 मार्च) पर समिति/परिषद के सभी बैंक खातों का खातावार बैलेंस पुष्टि प्रमाण-पत्र (Bank Balance Confirmation Certificate) प्राप्त कर खातों का मिलान किया जाना।

4. आदेय दावे (Unpaid Claim) का नियंत्रण-

- i. सभी अदेय दावों का एक अलग रजिस्टर (SGK और मैनुअल) में उचित विवरण के साथ रख-रखाव एवं बैंक खातों से मासिक मिलान (Reconciliation)।
- ii. मृत किसान रजिस्टर (Deceased Farmer Ledger) अलग से तैयार हो तथा मृत्यु की पुष्टि अभिलेखों एवं परिवार से प्राप्त जानकारी से करें तथा उसका अपडेशन एस.जी.के पर देखें।
- iii. मृत किसानों के भुगतान के लिए आवश्यक अभिलेख यथा-मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, किसान आई डी और नामित व्यक्ति के आधार कार्ड का मिलान।
- iv. लम्बित दावे, रजिस्टर में अलग से तैयार हो, जिसके लिए नोटिसें आदि जारी कर उचित फालोअप हो।

- v. एक वर्ष से अधिक पुराने दावे सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद Unclaimed Liability Account में स्थानान्तरित किये जाय।
- vi. अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन।

5. बजटीय नियंत्रण (Budgetary Controls)

- i. समिति बजट हेतु समय-समय जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन।
- ii. यह सुनिश्चित किया जाय कि पोर्टल पर सभी बजट शीर्षक (Budget Head) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो तथा किसी भी ओवररन (Over-run) या अंतर मद समायोजन (Inter-head Adjustment) की स्थिति में सिस्टम अलर्ट।

6- गन्ना विकास अंशदान

- i. पेराई सत्र के दौरान पाक्षिक रूप से आपूर्तित गन्ने की मात्रा एवं उसके अनुसार गन्ना विकास अंशदान की गणना।
- ii. पेराई सत्र की समाप्ति पर कुल आपूर्तित गन्ने की मात्रा का मिलान चीनी मिल अभिलेखों से किया जाना तथा तदनुसार समिति अंशदान की गणना।
- iii. गन्ना समिति/परिषद स्तर से दैनिक आपूर्तित गन्ने की सूचना एस.जी.के. पोर्टल पर अपडेट किया जाना।
- iv. लेखा अभिलेखों में गन्ना विकास अंशदान से आय के विवरण सही प्रकार से अंकित किया जाना।

7. कृषि निवेश (Agri Inputs) वितरण एवं ऋण नियंत्रण-

- i. कृषि निवेश (Agri Inputs) वितरण हेतु पंजीकृत और पात्र सदस्यों को ही क्रेडिट पर वितरित किया जाए। ऐसे सदस्यों को कोई सहायता न दी जाये जिनकी पूर्व देनदारियां बकाया हैं या डिफाल्टर हैं।
- ii. प्रत्येक सदस्य को वितरित की गई कृषि निवेश (Agri inputs) की मात्रा उनके लोन लिमिट, जोकि उनके सत्यापित गन्ना क्षेत्रफल (SGK डाटा) के अनुसार हो।
- iii. आवंटन सूची और अनुमोदन दस्तावेजों की समीक्षा करें, ताकि वितरण न्यायसंगत और पारदर्शी हो।
- iv. एक उचित ऋण खाता-बही (Loan Ledger) रखी जाए, जिसमें सभी लेनदेन प्रारंभिक शेष, वितरण, वसूली, ब्याज गणना, पुनर्भुगतान और इतिशेष (Closing Balance) दर्ज हों।

8. अन्य अभिलेखीय रख-रखाव (Other Records & Documentation) -

- i. नियत मानको एवं मदों से इतर के अभिलेखों में "Paid by me " की स्थिति।
- ii. डेड स्टॉक रजिस्टर में सही प्रारूप पर अद्यावधिक प्रविष्टियां एवं उनका सत्यापन।
- iii. डेड स्टॉक में राइट ऑफ (Right off) नीति के क्रियान्वयन की स्थिति।
- iv. वित्तीय वर्ष के अन्त में वर्किंग स्टेटमेंट एवं सभी बैंक समाधान पूर्ण होने के बाद ही बैलेन्सशीट को अन्तिम रूप दिया जाना।

9. सामान्य एवं विशेष लेखा परीक्षा (General Audit Procedures) -

- i. सामान्य एवं विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निस्तारण कराया जाना।
- ii. वित्तीय अनियमितताओं या संदिग्ध प्रविष्टियों का विवरण तैयार करना।
- iii. स्वीकृत बजट, वास्तविक आय एवं व्यय की तुलना।

- IV. स्वीकृत बजट से आधिक्य व्यय का मिलान एवं रिपोर्ट तैयार करना।
- V. अलिखित लेन-देन का विवरण तैयार करना एवं विसंगति दूर कराना।
- VI. लापरवाही के कारण हुई वित्तीय क्षति।
- VII. स्वीकृत अग्रिमों के सापेक्ष वसूली।
- VIII. समिति द्वारा वितरित ऋण के बैंक रिक्वूपमेंट/वसूली की स्थिति।
- IX. उत्तरदायी कार्मिक के द्वारा बरते गये गबन/अनियमितता/लापरवाही का अभिलेख तैयार करना।
- X. वाह्य लेखा परीक्षा के दौरान सहयोग।
- XI. समिति एवं परिषद के कार्मिकों को आवंटित कार्य के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना।
- XII. सहकारी गन्ना समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु अन्य कोई सुझाव दिया जाना।

गन्ना समितियों/परिषदों में आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म का यह कर्तव्य/दायित्व होगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से व्यवस्थित, अनुशासित एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गन्ना समिति/परिषद के समग्र वित्तीय कार्यकलापों एवं लेखांकन प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का नियमानुरूप मूल्यांकन करेंगे तथा लेखा परीक्षा के दौरान किसी अनियमितता या गबन का प्रकरण उदघाटित होने पर तत्काल उच्च स्तरों को रिपोर्ट करेंगे।

वर्तमान में गन्ना समितियों/परिषदों का समस्त वित्त एवं लेखा संबंधी कार्य स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल (एस.जी.के.) के माड्यूल 04 एवं 05 के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पादित किया जा रहा है। इसी क्रम में एस.जी.के. पोर्टल पर गन्ना समितियों/परिषदों के "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System) को माड्यूल 04 व 05 के अन्तर्गत यथास्थान विकसित कर समस्त आडिट प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जायेगा, ताकि मैनुअल त्रुटियों को कम करते हुए जोखिम प्रबन्धन (Risk Management) के तहत वास्तविक समय में डेटा की निगरानी करने से कमियों/त्रुटियों का त्वरित निराकरण हो सके।

अतः उपर्युक्त वर्णित दिशा-निर्देशों का मंशानुरूप अक्षरशः अनुपालन करते/कराते हुए गन्ना समिति/परिषद, जिला एवं परिक्षेत्र स्तर पर "आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली" (Internal Audit System) को पूर्ण प्रभावशीलता से लागू कराया जाये। उपर्युक्तानुसार निर्गत निर्देशों के अतिरिक्त सभी स्तरों के आडिट पैनल/सी.ए. फर्म को समय-समय पर यथावश्यक/समकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत अन्य सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, जिसे पूर्ण करने हेतु संबंधित आडिट पैनल/सी.ए. फर्म बाध्य होगी।

(मिनिस्त्री एस.)

आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियाँ उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्या—

/दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— प्रधान निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन को महोदया के अवगतार्थ।
2. अपर गन्ना आयुक्त(विकास)।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, सहकारी गन्ना समिति संघ, लखनऊ।
- 4— सचिव, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
5. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
- 6— समस्त मंत्री/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास परिषदें, उ.प्र.।
- 7— समस्त अध्यक्ष, विशेष सचिव/सचिव सहकारी गन्ना विकास समितियां, उ.प्र.।
- 8— एम.डी./प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, में. साईफ्यूचर, साफ्टवेयर इण्डिया प्रा.लि., नोएडा को इस अपेक्षा के साथ कि उपर्युक्तानुसार निर्गत निर्देशानुक्रम में एस. जी.के. माड्यूल 04 एवं 05 में यथास्थान पोर्टल पर **Online Internal Audit System** विकसित कराने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डा. वी.बी. सिंह)

अपर गन्ना आयुक्त(समितियां)
उत्तर प्रदेश।